पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई –मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/जूना/चू.प- 299 Mine code 38GUJ08347 ID दिनांक:

सेवा में :. मै. सोमनाथ मिनरल्स, प्रो. श्री अशोक विनोद जिमूलिया
P/2, तृतीय तल, जयदेव पैलेस, सोमनाथ सोसाइटी
60 फीट सड़क, पदम ट्रांसपोर्ट के पीछे
वेरावल, जिला- गिर सोमनाथ 362 265 (गुजरात)
e mail – dineshkumarandcompanyvrl@gmail.com

विषय: गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले की सूत्रापाडा तालुका में स्थित आपकी धामलेज चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 4.00 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.10.2022 को आपकी उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

| नियम सं. | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा |
|---|---|
| 11(1) | इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-304/2020-21MDRD(N)GNR दिनांक 29.01.2021 के द्वारा अनुमोदित संशोधित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है-<br>(१) अनुमोदित संशोधित खनन योजना के बिन्दु 8.3 के अनुसार वर्ष **2021-22** में खान के पर्यावरण सुधार हेतु **100** पौधें लगा कर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि **30** पौधें ही लगाए गए हैं। |
| 26(2) | नियमानुसार अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर के अनुसार खान के संरक्षण एवं पुनरूद्वार (Protective and Rehabilitation) हेतु प्रस्तावित एवं वास्तविक रूप से किए गये कार्यो की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 1 जुलाई तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर को प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण के समय पाया गया कि |

I/2709/2023

| | |
|---|---|
| | वर्ष 2021-22 के लिए यह रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नही की गई है। |
| 34A(3) | As per this rule "Every lessee shall carry out a drone survey of his leased area and upto hundred metres outside the lease boundary within six months before submission of any mining plan document or modification thereto to the Indian Bureau of Mines for approval and shall submit processed output [digital elevation model (DEM) and Orthomosaic] images obtained from such survey". It was observed that you have failed to submit the same. |

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

( मनीष गुप्ता )
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नही) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो